भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1775

उत्तर देने की तारीख: 10.02.2026

दलितों के विरुद्ध अत्याचार की घटनाएं

1775. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में दलित समुदायों के विरुद्ध अत्याचार की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने दलित समुदायों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को और सख्त बनाने और इसके सख्त पालन के लिए राज्य सरकारों को दिशानिर्देश जारी करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो इसका विवरण क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय अपने प्रकाशन 'भारत में अपराध' में अपराधों पर सांख्यिकीय आंकड़ों का संकलन और प्रकाशन करता है। प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2023 तक उपलब्ध हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, 2021, 2022 और 2023 के दौरान अनुसूचित जातियों के विरुद्ध हुए अपराध/अत्याचार के संबंध में दर्ज मामलों की संख्या क्रमशः 50,900, 57,582 और 57,789 है। वर्ष 2023 के दौरान अनुसूचित जातियों के विरुद्ध हुए अपराध/अत्याचार के संबंध में दर्ज मामलों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **संलग्नक-I** में दी गई है।

बढ़ती जागरुकता, व्यापक प्रचार तथा पुलिसकर्मियों के क्षमता निर्माण द्वारा उन्हें इस संबंध में संवेदनशील बनाया जाना कुछ ऐसे कारण हैं; जिनकी वजह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत और अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं।

(ख): अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार के अपराधों को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अधिक से अधिक न्याय प्रदान करना था। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम, 1989 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे 26.01.2016 से लागू किया गया था, ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधान किए जा सकें:

क. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार के अपराधों के त्वरित विचारण के लिए अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना।

ख. अनन्य विशेष न्यायालयों में अपराधों की सुनवाई के लिए अनन्य लोक अभियोजक को निर्दिष्ट करना।

ग. अत्याचार के कई नए अपराधों को जोड़ा जाना जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की गरिमा के लिए अपमानजनक था, जैसे सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिला को देवदासी के रूप में समर्पित करना आदि।

घ. "पीड़ितों और गवाहों के अधिकार" से संबंधित एक नया अध्याय जोड़ना।

ङ. पीड़ितों, उनके प्रतिवादियों और गवाहों की सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए राज्य पर कुछ कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को लागू किया जाना।

उपरोक्त अधिनियम को 2018 में पुन: संशोधित किया गया था, जिसमें प्रावधान किया गया कि (क) अधिनियम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के पंजीकरण के लिए प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी; और (ख) जांच अधिकारी को यदि आवश्यक हो, तो किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन अपराध करने का आरोप लगाया गया हो और इस अधिनियम या संहिता के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अलावा कोई अन्य प्रक्रिया लागू नहीं होगी। इसके अलावा, संहिता की धारा 438 के प्रावधान इस अधिनियम के तहत किसी मामले पर लागू नहीं होंगे, भले ही किसी भी न्यायालय ने ऐसा निर्णय या आदेश या निर्देश दिया हो।

(ग): अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम, 1989 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि अधिनियम को पीड़ितों और गवाहों के हित में इसके प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाने के लिए वर्ष 2016 और 2018 में संशोधन किया गया है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन की नियमित रूप से निगरानी करता है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एडवाइजरी के माध्यम से निदेश जारी करता है तथा अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए चिंतन शिविर और मासिक समीक्षा बैठकें करता है।

गृह मंत्रालय अपने स्तर पर समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पीओए अधिनियम और नियम के उपबंधों को इसके मूल भाव के अनुसार कार्यान्वित करने के लिए एडवाइजरी जारी करता है।

संलग्नक-I

वर्ष 2023 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज मामलों की राज्य-वार सं. के ब्यौरे से संबंधित 'दलितों के विरुद्ध अत्याचार की घटनाएं' से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1775 के भाग (क) में संदर्भित संलग्नक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2023 के दौरान दर्ज मामलों की सं.
1	आंध्र प्रदेश	2027
2	अरुणाचल प्रदेश	0
3	असम	5
4	बिहार	7064
5	छत्तीसगढ़	250
6	गोवा	4
7	गुजरात	1373
8	हरियाणा	1539
9	हिमाचल प्रदेश	229
10	झारखंड	604
11	कर्नाटक	1923
12	केरल	1128
13	मध्य प्रदेश	8232
14	महाराष्ट्र	3024
15	मणिपुर	0
16	मेघालय	0
17	मिजोरम	0
18	नागालैंड	0
19	ओडिशा	2696
20	पंजाब	116
21	राजस्थान	8449
22	सिक्किम	0
23	तमिलनाडु	1921
24	तेलंगाना	1709
25	त्रिपुरा	0
26	उत्तर प्रदेश	15130
27	उत्तराखंड	102
28	पश्चिम बंगाल	102
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
30	चंडीगढ़	3
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1
32	दिल्ली	128
33	जम्मू-कश्मीर	26
34	लद्दाख	0
35	लक्षद्वीप	0
36	पुदुचेरी	4
	कुल (अखिल भारतीय)	**57789**

स्रोत: एनसीआरबी

*****